भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 661

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 और 457 पर उच्चतम न्यायालय का निर्देश

661. श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19/4/2010 को निर्णीत 2008 की एक समादेश याचिका (ग) सं० 14 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्यों और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन निर्देशों की अब तक लागू क्या नहीं किया गया, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारत सरकार का क्या विचार है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क) से (ग): दिनांक 19.4.2010 को वर्ष 2008 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 14 में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा पुलिस महानिदेशकों के लिए सांवधिक प्रावधानों का व्यापक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में था। केन्द्र सरकार के लिए कोई निर्देश नहीं था। राज्य सरकारों/प्राधिकारियों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, भारत सरकार वर्तमान विधिक प्रावधानों और शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के अक्षरश: उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित परामर्शी-पत्र जारी करती है।

*****